भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3094
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल से वंचित गाँव

†3094. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या देश के कई गाँव अभी भी पेयजल से वंचित हैं और दूर-दराज के इलाकों से पानी लाने वाले टैंकरों पर निर्भर हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है और इस संबंध में निधि उपलब्ध कराई है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को पूरे देश में कब तक पूरी तरह से लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश भर के सभी गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है। शुभारंभ के समय, सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय को भी मंजूरी दी थी। स्वीकृत किए गए केंद्रीय परिव्यय का लगभग पूरा उपयोग किया जा चुका है।

जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय में, केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 04.08.2025 तक, लगभग 12.45 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 04.08.2025 तक, देश के लगभग 5.86 लाख

गांवों में 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 5.81 लाख गांवों में बसे लगभग 15.68 करोड़ (80.99%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। इसके अलावा, 04.08.2025 तक, लगभग 2.63 लाख गांवों को 'हर घर जल' के रूप में सूचित किया गया है, अर्थात् उनमें 100% ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को कुल वर्धित परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जल प्रबंधन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। जिन गांवों में पानी के टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, उनका ब्यौरा राज्य सरकार के स्तर पर रखा जाता है।

*****